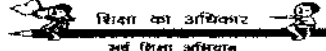




राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्



ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 2705484

फैक्स:- 2701822

क्रमांक:-एफ-14 ()/डाइस/राप्रशिप/जय/2012-13/10575

दिनांक:- 15-10-12

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद्,

समस्त जिले।

विषय:-यू-डाइस 2012-13 के संबंध में दिशा निर्देश।

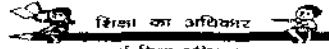
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2012-13 से राज्य में प्रत्येक सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों से जिनमें कक्षा 1 से 12 के मध्य संचालित है, यू-डाइस का प्रपत्र भरवाया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-

1. ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों की मॉनिटरिंग हेतु 50-50 प्रतिशत ब्लॉकों की मॉनिटरिंग सर्व शिक्षा अभियान एवं आरएमएसए के डीपीसी एवं एडीपीसी द्वारा की जावेगी।
2. ब्लॉक स्तरीय समस्त प्रशिक्षणों (माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित) का व्यय सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
3. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के संस्थाप्रधानों का ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण माध्यमिक शिक्षा के नोडल प्रधानाचार्य द्वारा किया जावेगा। इस हेतु उन्हें 300 रुपये प्रति दिवस की दर से भुगतान सर्व शिक्षा अभियान के ब्लॉक कार्यालय द्वारा यू-डाइस संबंधी समस्त कार्य समाप्त होने के पश्चात् देय होगा।
4. आपके जिले में स्थित समस्त विद्यालयों से यू-डाइस प्रपत्र भरवाया जाना सुनिश्चित किया जावेगा, इस हेतु विद्यालय सूची को जीआईएस सर्वे एवं गत सत्र की विद्यालय सूची से मिलान किया जाना सुनिश्चित करावे।
5. प्रारम्भिक स्तर तक के समस्त विद्यालयों का भौतिक सत्यापन प्रारम्भिक शिक्षा के नोडल संस्थाप्रधान द्वारा शत प्रतिशत किया जावेगा।
6. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों का भौतिक सत्यापन माध्यमिक शिक्षा के नोडल संस्था प्रधानों के द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित किन्ही भी 6 विद्यालयों का भौतिक सत्यापन कर डीसीएफ को प्रमाणित किया जावेगा। इस हेतु नोडल संस्था प्रधान को दो कार्य दिवस देय होंगे। जिनका यात्रा भत्ता सर्व शिक्षा अभियान के ब्लॉक कार्यालय द्वारा यू-डाइस संबंधी समस्त कार्य समाप्त होने के पश्चात् किया जावेगा।



राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्



ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

फोन:- 2705484

फैक्स:- 2701822

कमांक:- एफ-14 () / डाईस / संप्राप्ति / जय / 2012-13 / 10.5.76

दिनांक:- 15/10/19

7. ब्लॉक स्तरीय एसएसए कार्यालय द्वारा 20 प्रतिशत विद्यालयों की सैम्पल चैकिंग किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। इस हेतु ब्लॉक कार्यालय स्तरीय अधिकारी फील्ड विजिट कर कार्य को 7 कार्य दिवसों में सम्पादित करेंगे।
8. प्रारम्भिक शिक्षा के नोडल संस्थाप्रधान एवं ब्लॉक कार्यालय के कनिष्ठ अभियंता द्वारा शत प्रतिशत प्रारम्भिक स्तर के विद्यालयों के डीसीएफ प्रपत्रों का यथा स्थान हस्ताक्षर कर सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् ही डीसीएफ प्रपत्रों को कम्प्यूटर में डेटा एन्ट्री करने हेतु जिले पर भिजवाया जा सकेंगा।
9. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों हेतु नोडल संस्था प्रधानों द्वारा कम से कम 6 विद्यालयों का यथा स्थान हस्ताक्षर कर सत्यापन किया जावेगा।
10. परिषद् कार्यालय के पत्रांक 10452 दिनांक 13.10.2012 द्वारा दिये गये समयचक्र के अनुसार सम्पूर्ण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किये जावेंगे।
11. प्रारम्भिक शिक्षा के नोडल संस्था प्रधान एवं माध्यमिक शिक्षा के नोडल संस्था प्रधान समस्त विद्यालयों के डीसीएफ प्रपत्रों का संग्रहण कर सर्व शिक्षा अभियान के ब्लॉक कार्यालय में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्य की मॉनिटरिंग एसएसए एवं आरएमएसए के डीपीसी एवं एडीपीसी व्यक्तिगत रूप से करेंगे।

अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, संप्राप्ति, जयपुर।
2. निजी सचिव, परियोजना विभाग, आरएमएसए, जयपुर।
3. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान / आरएमएसए, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान / आरएमएसए, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त